यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी के माह 04/2012 से 11/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 01.02.2018 से 03.02.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत चिकित्सालयों, उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, परिवार कल्याण, टीकाकरण मातृ शिशु देखभाल, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास क्षेत्र है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

   (ii) (अ) विगत छः वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	11.06	10.12	75.12	55.97	–	0.94	–	19.15
2013–14	–	–	24.66	1.30	178.52	132.36	–	23.36	–	46.16
2014–15	–	–	14.25	14.03	148.53	144.11	–	0.22	–	4.42
2015–16	–	–	16.89	11.40	169.41	146.42	–	5.49	–	22.99
2016–17	–	–	19.47	14.39	270.32	184.74	–	5.08	–	85.58
2017–18 (11/2017)	–	–	18.15	14.75	177.43	151.43	–	3.40	–	26.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	5.84	29.84	28.04	–	7.64
2013–14		7.64	26.87	27.47	–	7.04
2014–15		7.04	35.50	34.45	–	8.09
2015–16		8.09	40.16	38.43	–	9.82
2016–17		9.82	62.05	67.92	–	3.95
2017–18 (11/2017)		3.95	7.40	11.00	–	0.35

(iii) इकाई को अधिष्ठान हेतु बजट आबंटन महानिदेशालय स्तर एवं एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ‘‘सी’’ श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

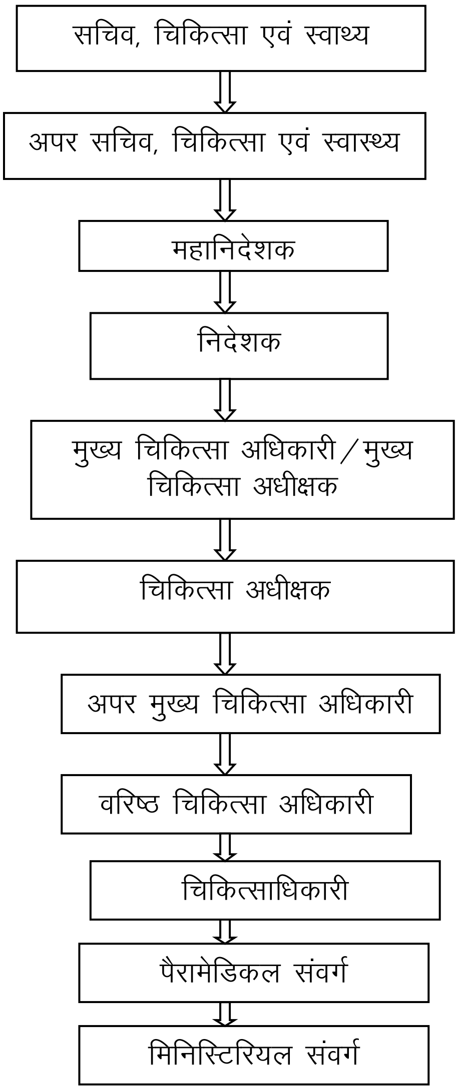

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह जून 2016, मार्च 2017 एवं अक्टूबर 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 अनटाईड निधि में रु0 31,200 के अनियमित व्यय ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उप–केन्द्रों को वार्षिक अनटाईट निधि के उपयोग हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार अनटाईड निधि के रुप में प्राप्त धनराशि का उपयोग उप–केन्द्र के लघु सुधार, गोपनीयता हेतु पर्दे, टैप मरम्मत, विद्युत वल्ब प्रसव के उपरान्त सफाई हेतु तदर्थ भुगतान, बैडेज एवं ब्लीचिंग पाउडर की अधिप्राप्ति में व्यय किया जाएगा। अनटाईड निधि के रुप में प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी प्रकार के वेतन, वाहन अधिप्राप्ति एवं आवर्ती व्यय में नहीं किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त दिशा–निर्देश का बिन्दु संख्या 9.5.4 & 9.4.5 प्रावधानित करता है कि अनटाईड फण्ड से उपकेन्द्रों को अवमुक्त राशि को व्यय के रुप में तभी दिखाया जाएगा जब तक कि वास्तविक व्यय उपभोग प्रमाण–पत्र/व्यय विवरण प्रमाणकों के साथ प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी के सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि पॉच उपकेन्द्रों[1] द्वारा अनटाईड निधि से वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक रु0 31,200 का व्यय किया गया जो कि दिशा–निर्देशों के विपरीत था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि बजट उपलब्ध न होने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देश पर व्यय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि धनराशि की नियमित आवश्यकता होती है तो उस हेतु अन्य मद में धनराशि की मॉग एवं पूर्ति की जानी चाहिए थी।

अतः अनटाईड निधि में रु0 35,300 के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

[1] सुमाडी : रु0 7200, बुघाडी : रु0 2400, श्रीनगर : रु0 7200, थारखोला : रु0 7200 एवं पोखरी : रु0 7200

STAN

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 1.65 लाख का कम भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/ फार्माशिष्टों उच्चीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण दिनॉक 31.12.2015 की स्थिति को लेते हुए वेतन + ग्रेड वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्ति राशि, नये वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरुपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरुप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा। वेतन वृद्वि की तिथि यदि जनवरी एवं जुलाई है तो एक वेतन वृद्वि देते हुए वेतन का निर्धारण किया जाएगा। कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि

1. श्री कमल चन्द नेगी, वार्ड ब्वाय एवं श्रीमती अनीता बिष्ट, ए0एन0एम0 को जनवरी 2016 से माह दिसम्बर 2017 तक कुल रु0 1,65,600 का वेतन कम दिया गया। विस्तृत विवरण संलग्नक–2 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों के अनुरुप वेतन निर्धारण किया गया फिर भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वेतन निर्धारण की पुनः जॉच की जाएगी एवं यदि आवश्यक होगा तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी। कम वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में बताया कि वेतन निर्धारण की पुनः समीक्षा की जाएगी एवं तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट प्रावधान किए गये हैं एवं उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 1.65 लाख के कम भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये:–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

2. सतत् अनियमितताऐं:

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 दिनेश कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.04.2012 से 01.01.2014
2.	डा0 प्रदीप कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.03.2014 से 22.06.2017
3.	डा0 अजीत जौहरी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	23.06.2017 से 16.08.2017
4.	डा0 आशीष गुॅसाई	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	17.08.2017 से 01.01.2018
5.	डा0 अजीत जौहरी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	02.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिर्सू, पौडी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र